

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या-2088/सी0ई0ओ0-4-43/4-2022 लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2022
सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय- अर्हता दिनांक-01.01.2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों
की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-शैक्षणिक
संस्थानों के परिसरों में संभावित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची
में जुड़वाने की सुविधा प्रदान किए जाने के बारे में आयोग के
निर्देश।

महोदय/महोदया,

सचिव

17.11.22

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

उपरोक्त विषय पर कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र
संख्या-23/AERO/2022-ERS दिनांक 07.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) जो समस्त मुख्य
सचिव, समस्त प्रदेशों/संघ शासित प्रदेशों को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को
पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत निर्वाचन
आयोग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में संभावित मतदाताओं के नाम मतदाता
सूची में जुड़वाने की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश
प्रदान किए गए हैं।

5974/SM/11
V.S(DSN/AR/SR)

अतः अनुरोध है कि कृपया आयोग के संलग्न दिशा-निर्देशों का भलीभांति
अध्ययन करते हुए आयोग की अपेक्षानुसार कार्यवाही किए जाने के बारे में सभी
सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

18/11/22

(श्रुति सिंह)
सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या:2088(1)/सी0ई0ओ0-4 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

46/वि3
01.11.22/3

(अजय कुमार शुक्ला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110001

No. 23/ABRO/2022-ERS

Dated: 7th November, 2022

To,

The Chief Secretary/Administrator,
of all States/UTs.

सचिव, निर्वाचन

Subject: - Facilitate the enrolment of prospective voters from the campuses of educational institutions - regarding.

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

I am directed to refer to the subject cited above and to state that the electoral rolls are prepared and revised, subject to the overall superintendence, direction and control of the Election Commission of India under Article 324 of the Constitution, in accordance with the provisions of Representation of People Act, 1950 and Registration of Electors Rules, 1960.

2. The Election Commission of India has always been committed for conducting free, fair and inclusive election, for which an error free and updated electoral roll is prerequisite. The electoral roll is updated regularly through the Annual Summary Revision and continuous updation, wherein special focus is given on registration of new/prospective electors, who are/would be eligible for registration in electoral roll.

3. Earlier, the registration in electoral roll was done with respect to one qualifying date i.e. 01st January of the coming year, however with the recent change in registration process; provision of four qualifying dates have been introduced, i.e. 01st January, 01st April, 01st July and 01st October of the year in which the final publication of electoral roll is done. The said provisions have enabled the more number of prospective electors to submit advance application/claim for registration in Form-6, upon the draft publication of electoral roll, usually done in November every year.

4. The registration of new/prospective electors has always been a challenging task, and in spite of Commission's consistent efforts for encouraging and increasing the enrollment in 18-19 age group, there has always been a shortfall in the registration number. As majority of such prospective electors are part of the educational institutes, the Commission feels that registration of young/prospective electors can be maximized through active participation of education institutions by providing:-

(i) A dedicated space on institutions websites where a link for "registration of new voters" along with awareness slogans may be given, to encourage the students for their registration as electors; this link would direct the applicant to Form 6-"Registration of New Voter" on NVSP portal

(ii) A field embedded towards the end of registration/examination form with tagline "application form to be a new voter". A click on the same would direct the applicant to Form 6-"Registration of New Voter" on NVSP portal, by hyper-linking the tagline with portal.

5. Further, I am also directed to convey that suitable instructions may also be issued to education Department/Boards to include the Electoral Literacy in Curricula, Co-Curricula and Extra curricula at the school level. This has also been taken up with the Union Ministry of Education, GOI and the Ministry has assured for necessary revision in the National Curriculum framework (NCF). You are, therefore, requested to devise necessary framework for the inclusion of Electoral Literacy in the school curriculum of your state, in consultation with the Chief Electoral Officer of the concerned state/UT.

6. Accordingly, It is requested to send suitable communications in this regard to educational department/universities/Boards falling under the purview of your State/UT to facilitate the enrolment of young/prospective electors in the electoral roll.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SENIOR PRINCIPAL SECRETARY

Copy to: Chief Electoral Officers of all the States/UTs

1/238732/2022

प्रेषक,

मुमताज अहमद सिद्दीकी

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०, लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक 23 नवम्बर, 2022

विषय:- अर्हता दिनांक 01.01.2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में संभावित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की सुविधा प्रदान किए जाने के बारे में आयोग के निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-2088/सी०ई०ओ०-4-43/4-2022, लखनऊ दिनांक 16 नवम्बर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2022 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 07.11.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन करते हुए आयोग की अपेक्षानुसार नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के बारे में कृपया चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन समस्त चिकित्सा संस्थानों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Signed by मुमताज अहमद सिद्दीकी

Date: 23-11-2022 11:50:59

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)

अनु सचिव।

Email: dgmsec1@gmail.com
02/12/22

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

- 1- प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रधानाचार्य,
समस्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक,
हृदय रोग संस्थान/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर/पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झाँसी।
- 4- प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर।

संख्या-एम०ई०-1/2022/3950

लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2022

विषय:-अर्हता दिनांक 01.01.2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में संभावित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की सुविधा प्रदान किये जाने के बारे में आयोग के निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-1/238732/2022 दिनांक 23.11.2022 (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-2088/सी०ई०ओ०-4-43/4-2022 दिनांक 16.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करें।

अतः संदर्भगत शासकीय पत्र को संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुये कहना है कि संलग्न भारत निर्वाचन के पत्र दिनांक 07.11.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन करते हुये आयोग की अपेक्षानुसार स्वस्तर से नियमानुसार कार्यवाही करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

संख्या-एम०ई०-1/2022/

तददिनांक/

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग दो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Dean.

AM

05/12/22
Director
Dr. Ram Manohar Lohia
Institute of Medical Sciences
Gomti Nagar, Lucknow

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक।

Dr. Manish
उपक प्राप्ति

दिनांक 02/12/22 संख्या 27
कार्यालय: डॉ० राम मनोहर लोहिया
आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

D:\Desktop\m\l\k\p

डीन केप कार्यालय

पत्रावली/पत्र प्राप्ति तिथि: 01/12/22

पत्रा. 2894